



20 Sep, 2020

Speech/ Remarks made by Shri Ahmed Patel against the draconian Agriculture Bills in the Rajya Sabha today

1) Good that BJP is burning midnight oil to research the Congress Manifesto. They have realised it is a masterpiece and for us it is no less than a holy document. We take it very seriously and will object to anyone to selectively quote it or distort it. Now that BJP has started to understand what a manifesto is, let us now teach them how it to interpret and expose their lies - these dangerous ordinances were never a part of our manifesto.

2) In 2019 - after ruining the life of farmers through low MSP's & demonetisation- Congress party promised a comprehensive plan to the economy of farmers. This plan was built on 22 points, BJP has read only 2 points and forgotten to read the 20 other points. I challenge them to read the 20 other points and stop seeing these 2 points in isolation. Because half heartedly implementing only 1 and not the others is only going to compound the misery of the farmers.

3) What is difference between our promise to repeal APMC and their ordinance? We promised to repeal APMC Act to free agricultural trade from all restrictions but we suggested this only after **providing 5 majorsafeguards for the farmer.**

4) What are the 5 major safeguards we proposed before repealing APMC?

- **First**, the current national average of area served by a mandi is 450 sq km. We wanted to repeal this and establish Farmer market with sufficient infrastructure in every major village. **Does this ordinance have this provision ? NO**

- **Second**, We promised a dedicated policy for agricultural export and import to protect farmer interest. **Does this ordinance have this provision ? NO.** This ordinance is completely skewed to protect interest of corporate

5) **Third**, To fix MSP we also recommended repealing the existing Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) and replacing it by a **National Commission on Agricultural Development and Planning (NCADP).**

And we also said the NCADP will consist of farmers and their recommendation on MSP will be binding.

Currently CACP recommendation is not binding.

Does this ordinance have this provision? No. In fact this ordinance is way to make the MSP redundant



6) **Fourth**, our most important safeguard was the NYAY yojna where we promised Rs 72,000 a year to the 20% poorest families in this country. Who are these 20%? Small farmers and landless farmers.

With Rs 72,000 guaranteed income our farmers will be protected from any potential exploitation when we open agricultural trade

We challenge the BJP to implement this scheme first before bringing this ordinance.

7) **Fifth**, the Food Security Act of the UPA government covered 70% of this population. This ensured the government increases procurement from farmers

Instead the 2020 Economic survey of the Modi government proposed reducing the coverage of NFSA from 70% to 20%. This is because this government has no money to give the Food Corporation of India for purchasing from farmers.

The FCI is borrowing money from the National Small Savings Fund at 8.4% to sustain itself.

8) Apart from these 5 major safeguards. We had several other safeguards. Such as reviewing prices of agri-inputs, establish facilities for hiring farm machinery, construct warehouses in every block and operating farm insurance schemes on no profit no loss basis.

But this ordinance doesn't have single safeguard which Congress proposed and it is malicious to claim this ordinance was a part of our manifesto

9) Also why on 22nd July, 2020 when the PM was speaking to US companies he was telling them about these ordinances and asking them to come and invest.

Is this ordinance a way to centralise agriculture and hand it over to foreign companies?

(State's power to put levy on Central warehouses has been withdrawn under this ordinance)

Is this ordinance being under the pressure of World Trade Organisation ?

10) Will this ordinance double farmer income in next 1.5 years as promised in BJP's manifesto ? **No**



Will this ordinance reduce agricultural import which is around Rs 6-7 lakh crore per year? No

ये अच्छी बात है कि BJP कांग्रेस के मेनिफेस्टो को समझने के लिए दिन रात एक किये हुए है।

शायद उन्हें ये समझ में आ गया है कि congress का मैनिफेस्टो एकमास्टरपीस है।

हमारे लिए ये मैनिफेस्टो जनता से किया हुआ वायदा है, हमाराकमिटमेंट है। हम इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और इसलिए कोई भी यदि हमारी मेनिफेस्टो को selectively quote करेगा या इसको तोड़ मरोड़कर पेश करेगा, तो हम इसका पुरज़ोर जवाब देंगे।

हालाँकि ये यह सच है कि BJP के लोगों का आमतौर पर पढाईलिखाई से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं नज़र आता है, लेकिन अब आप लोगों ने हमारे मेनिफेस्टो को पढने की कोशिश शुरू की है, तो हम ही आपको थोड़ा सा सिखा दें कि इस मेनिफेस्टो को कैसे समझा जा सकता है।

साथ ही इसको लेकर आप लोग जो लगातार असत्य अब प्रचार कर रहे उसको भी थोड़ा देश की जनता के सामने अब उजागर कर ही देते हैं।

अध्यक्ष जी, ये बेहद खतरनाक किसान विरोधी अध्यादेश कभी भी हमारे मेनिफेस्टो का हिस्सा नहीं थे।

हमारी मैनिफेस्टो में क्या था?

हमारे मेनिफेस्टो में किसानों की अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक comprehensive प्लान था। इस प्लान की ज़रूरत भी इसलिए पड़ी थी क्योंकि BJP की सरकार ने नोट बंदी और कम MSP के कारण किसानों की हालात बहुत खराब कर दी थी।

इस प्लान में 22 point थे। अध्यक्ष जी, BJP के साथियों ने केवल दो पॉइंट पढ़े और बाकी 20 point को पढ़ना भूल गये।

मैं चैलेंज करता हूँ कि वे बाकी के बीस पॉइंट भी पढ़ें क्योंकि अधूरे मन से केवल एक बात को लागू करने से और बाकी से आँखें मूँद लेने से हमारे किसान भाइयों की समस्या और गंभीर ही होगी।

APMC को हटाने के हमारे वायदे में और इन अध्यादेशों के मार्फत APMC को समाप्त करने में आखिर क्या फ़र्क है?

हमारा वायदा APMC क़ानून को समाप्त करने का था ताकि कृषिव्यापार को सभी बंदिशों से मुक्त किया जा सके। लेकिन हम ये काम किसानों की सुरक्षा के लिए पाँच प्रमुख सुरक्षा कवच तैयार करने के बाद ही करने के पक्ष में हैं। और ये पाँचों बातें हमारे मैनिफेस्टो में साफ़ लिखी हुई हैं।

ये पाँच सुरक्षा कवच क्या हैं?

पहला, अभी एक मंडी औसतन साढ़े चार सौ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रको कवर करती है। हमारा वायदा इसे समाप्त कर हर प्रमुख गाँव में ज़रूरी infrastructure के साथ किसान बाज़ार तैयार करने का था। क्या इस अध्यादेश में यह प्रावधान है? नहीं।



दूसरा, हमने वायदा किया था कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृषि आयात और निर्यात की एक विशेष पॉलिसी तैयार की जाएगी। क्या इन अध्यादेशों में ऐसा किया गया है? नहीं। ये अध्यादेश तो कॉरपोरेट के हितों की तरफ पूरी तरह झुके हुए हैं।

तीसरा, हमने MSP तय करने नया का सिस्टम सुझाया था। अभी MSP को Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) तय करता है। हमारा वायदा था कि इसे हटाकर MSP को तय करने की जिम्मेदारी एक National Commission on Agricultural Development and Planning (NCADP) की होनी चाहिए। इस नए कमीशन में किसान भी मेंबर होंगे और उनका परामर्श MSP तय करते हुए नकारा नहीं जा सकेगा।

हमने ऐसा वायदा इसलिए किया था क्योंकि अभी के सिस्टम में किसानों की राय को मानना अनिवार्य नहीं है। उनकी राय को नकारा जा सकता है। क्या इन अध्यादेशों में यह प्रावधान है? नहीं।

सच तो यह है कि इन अध्यादेशों की मार्फत MSP के कॉन्सेप्ट को हीसाइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है।

चौथा सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच हमारी न्याय योजना थी, जिसमें हमने देश की 20% सबसे गरीब परिवारों को बहतर हज़ार रुपया सालाना देने का वायदा किया था और वो गरीब 20% परिवार कौन से हैं?

ये छोटे किसान और खेतिहर किसानों के परिवार ही तो हैं।

हमारी योजना थी कि 72 हज़ार रुपया की इनकम गारंटी किसानों को खुले कृषि व्यापार से होने वाले किसी भी नुकसान के खिलाफ गारंटी भी होगी।

हम BJP को चुनौती देते हैं कि अध्यादेशों को कानून बनाने से पहले वो इस स्कीम को लागू कर किसानों की सुरक्षा कर के दिखाये तो सही।

पाँचवाँ सुरक्षा कवच खाद्य सुरक्षा कानून को ठीक से लागू करना था। ये कानून UPA की सरकार ने बनाया था जिसके तहत देश के 70% लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि इस कानून को ठीक से लागू किया जाता है तो किसानों से सरकारी ख़रीद बहुत बढ़ जाएगी।

लेकिन मोदी सरकार तो इसे उल्टा कमज़ोर करने की तैयारी में है। 2020 के इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाली जनता की संख्या को 70% से कम करके 20 प्रतिशत तक सीमित करने का सुझाव दिया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि इस सरकार के पास पैसा ही नहीं है, जो वो Food Corporation of India को किसानों से उनकी उपज ख़रीदने के लिए दे सके।

FCI तो खुद National Small Savings Fund से ब्याज पर पैसा लेकर अपना काम चलाने की कोशिश कर रही है।

इन पाँच प्रमुख सुरक्षा कवच के अतिरिक्त भी हमने और बहुत सारे सुरक्षा क़दम उठाने का वायदा किया था।

हमने कहा था कि हम खेती में काम आने वाली वस्तुओं यानि कि Agri Inputs कीमतों को रिव्यू करेंगे।

हमने कहा था कि हम खेती में काम आने वाले उपकरणों को किराये पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनायेंगे।

हमने यह भी वादा किया था कि हम हर ब्लॉक में वेयरहाउस बनाएँगे और कृषि बीमा योजनाओं को बिना नफ़ा नुकसान के आधार पर ही चलाएँगे।

क्या आपके अध्यादेश इनमें से किसी की भी बात करते हैं? नहीं करते हैं। इसलिए यह सरासर गुमराह करने की कोशिश है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो इन अध्यादेशों की ही बात करता है।



एक बात और पूछना चाहता हूँ। 22 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री जब अमरीकी कंपनियों से बात कर रहे थे, तो क्यों वो उन्हें इन अध्यादेशों के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे आइए और भारत में निवेश कीजिए।

क्या यह अध्यादेश खेती को केंद्रित करने और उन्हें विदेशी कंपनियों के हवाले करने का रास्ता तो नहीं बना रहे हैं?

कहीं ये अध्यादेश WTO के दबाव में तो नहीं लाए गए हैं?

क्या ये अध्यादेश अगले डेढ़ साल में यानि कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे जैसा कि यह सरकार लगातार दावा कर रही है और BJP ने अपने मैनिफेस्टो में भी वायदा किया था? जवाब स्पष्ट न है।

क्या ये अध्यादेश कृषि आयात को जो की छह से 7 लाख करोड़ सालाना होता है, कम कर सकेंगे? जवाब स्पष्ट न है।

इसलिये मेरी BJP के लोगों से दरखास्त है कि देश को गुमराह करना बंद करें। किसानों को कमजोर करने और खेती को निजी कंपनियों के हवाले करने के लिए वह जो अध्यादेश लाए हैं, उनको कांग्रेस मैनिफेस्टो की आड़ में पास कराने की कोशिश न करें।

और अगर हमारा मैनिफेस्टो उन्हें अब इतना ही पसंद आ रहा है तो मेरी उनसे गुज़ारिश है इस मैनिफेस्टो की तमाम बातों को लागू करे, कृषि व्यवस्था में सुधार करें और देश के किसानों को मज़बूत बनाये, न कि उन्हें कमजोर करने की कोशिश करें।

धन्यवाद।